28/04/22

पत्रावली पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादी उपस्थित है/नहीं है।
आज [illegible] राजकार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली [illegible] को पेश हो।

26/04/22

[illegible] उपखण्ड अधि., [illegible]

26/04/22

पत्रावली पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादी उपस्थित है/नहीं है।
आज [illegible] राजकार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली [illegible] को पेश हो।

11/01/22

[illegible] उपखण्ड अधि., जालोर

11/01/22

पत्रावली पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादी उपस्थित है/नहीं है।
आज [illegible] राजकार्य में व्यस्त है।
अतः [illegible] को पेश हो।

12/02/22

[illegible] उपखण्ड अधि., जालोर

12/2/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण का प्रकरण वापस लेने का आशय है। अतः प्रार्थीगण का प्रकरण वापस लेने के कारण पत्रावली फाईल से हटाई जाकर दाखिल दफ्तर किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जालोर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner